राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
वित्त भवन, ए–ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर–302005
(दूरभाष नं0:– 0141–2740837,, **फैक्स** 0141–2742309, **ई–मेल**:– jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांकः– एफ.4 (ई)(1)(6)/के–1316/2013/अलेसे–III 893 दिनांकः–6.10.2023

आदेश संख्याः– 64/2023–24

श्री खुशवन्त पाटीदार, कनिष्ठ लेखाकार को इस निदेशालय के आदेश संख्या 621/2022–23 दिनांक 26.08.2022 द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, चितरी, डूंगरपुर द्वारा प्रस्तुत कुटरचित वेतन ऐरियर बिल कुल राशि 26579438/– रूपये के अनियमित भुगतान के क्रम में राजस्थान सिविल सेवायें **(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)** नियम 1958 के नियम–13 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में निलम्बित किया गया था। उक्त क्रम में निदेशालय का ज्ञापन दिनांक 02.02.2023 द्वारा श्री पाटीदार के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवायें **(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)** नियम–1958 के नियम –17 के अन्तर्गत आरोप–पत्र जारी किया गया। तत्पश्चात् विभागीय ज्ञापन दिनांक 29.08.2023 के द्वारा उपरोक्त ज्ञापन दिनांक 02.02.2023 को नियम–16 में परिवर्तित करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।

अतः श्री पाटीदार के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी रखते हुए उन्हें निलम्बन से बहाल किया जाकर इनका पदस्थापन कार्यालय चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरोदा जिला डूंगरपुर में कनिष्ठ लेखाकार के रिक्त पद पर किया जाता है। इनके निलम्बन काल एवं इसमें देय वेतन भत्तों आदि का निर्णय उनके विरूद्ध चल रही विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही के निर्णय के अध्यधीन रहेगा।

(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः– एफ.4 (ई)(1)(6)/के–1316/2013/अलेसे–III 893 दिनांकः–6-10-2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है.

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. कोषाधिकारी, बांसवाड़ा।
3. कोषाधिकारी, डुगरपुर ।
4. कार्यालय चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरोदा जिला डूंगरपुर
5. उप निर्देशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं पीआईएस में अद्यतन करने हेतु।
6. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
7. श्री खुशवन्त पाटीदार, कनिष्ठ लेखाकार मुख्यालय कोषाधिकारी, बांसवाड़ा।
8. जाँच शाखा/एसीआर शाखा/डीपीसी शाखा/पदस्थापन सीट।
9. रक्षित पत्रावली/निजी पत्रावली।

(के.जी.गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक)

D:\2019\PRIYANKA JI\ORDER.DOCX:-24